कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश

(कक्ष- स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश)

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

प्रेस विज्ञप्ति (26/2026 दिनांक 15.05.2026)

वन्यजीवों के मांस के अन्तराज्यीय तस्कर की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका (HABEAS CORPUS) माननीय उच्च न्यायलय की युगल पीठ ने ख़ारिज की

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (एसटीएसएफ) मध्यप्रदेश के द्वारा मध्यप्रदेश के संरक्षित वनक्षेत्रों से वन्यजीव कालाहिरण, चिंकारा, सांभर, चीतल आदि वन्यजीवों का शिकार कर उनके अवयवों की तस्करी मुंबई (महाराष्ट्र) करने वाले संगठित गिरोह के आरोपियों के विरुद्ध वन अपराध प्रकरण क्रमांक 237/22 दिनांक 21.08.2025 दर्ज किया गया था। प्रकरण की विवेचना के दौरान गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ एवं वैज्ञानिक साक्ष्यो के आधार पर पाया गया है कि इनके गिरोह के द्वारा लगातार कई वर्षों से मध्यप्रदेश में आकर गिरोह के स्थानीय सदस्यों के साथ मिलकर शिकार किया जा रहा था। एसटीएसएफ ने इस गिरोह के कुल 06 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में 04 आरोपी महाराष्ट्र एवं 02 आरोपी मध्यप्रदेश के हैं।

प्रकरण में संलिप्त इस गिरोह के एक सदस्य साबह अंतुले को दिनांक 27.10.2025 को मुंबई (महाराष्ट्र) से गिरफ्तार कर माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इंदौर के समक्ष प्रस्तुत किया गया । आरोपी की जमानत याचिका माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर द्वारा दिनांक 26.02.2026 को ख़ारिज की गई थी।आरोपी पिछले 06 माह से जेल में निरुद्ध हैं।

आरोपी द्वारा प्रकरण में स्वयं की गिरफ़्तारी के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायलय, खंडपीठ इंदौर की युगल पीठ के समक्ष **HABEAS CORPUS (बंदी प्रत्यक्षीकरण) याचिका क्रमांक WP/15777/2026** लगाई गई थी। माननीय उच्च न्यायालय, खंडपीठ इंदौर की युगल पीठ द्वारा याचिका पर सुनवाई करते हुए अपने आदेश मे निर्णय दिया गया कि-

“After the arrest, the petitioner filed an application under Section 439 of the Cr.P.C. bearing M.Cr.C. No.5598 of 2026 which came to be dismissed vide order dated 06.02.2026. The said order reflects that the present petitioner was found in the video clip with two dead blackbucks. Therefore, it cannot be said that the petitioner is in illegal custody as all the necessary measures have been followed. Hence, the present petition can never be said to be a habeas corpus petition.”

प्रकरण मे माननीय न्यायालय ने माना है कि याचिकाकर्ता साबह अंतुले की गिरफ्तारी गैरकानूनी नहीं है अपितु वह न्यायिक आदेश के तहत हिरासत में है और उसकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है, इसलिए इसे अवैध हिरासत नहीं माना जा सकता अतः याचिकाकर्ता के संबंध मे बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट *habeas corpus* लागू नहीं होती। माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में की गई विवेचना एवं केस रिकॉर्ड में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की याचिका निरस्त की गई।

अधिकृत अधिकारी
कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
मध्यप्रदेश, भोपाल